केस स्टडी

संवेदनक्षम पत्रकारीता के बारे में एक स्थानिय अखबार में छपी हुई न्यूज का उदाहरण हेतु उपयोग

गर्भपात की दवाइ के नाम पर बिक रही है मृत्यु

गलत हेडलाइन

शहरः एक महिला ने गर्भपात के लिए इस्तेमाल होनेवाली दवाइयों का सेवन करने की वजह से उसकी मृत्यु हो गयी। इस बात से भलीभाँति परिचित यहाँ के फार्मासिस्ट यह दवाइयाँ खुलेआम बेच रहे हैं। हाल ही में दो महिलाओं को इन दवाइयों की वजह से अस्पताल में दाखिल करने की परिस्थिति आयी थी। इन घटनाओं के बाद मुख्य वैद्यकीय और स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचएमओ) ने ड्रग इन्स्पेक्टर्स को पत्र के द्वारे इन दवाइयों वर प्रतिबंध लाने की विनंती की। पिछले साल एक चार महिनों की गर्भवती महिला का फार्मसिस्ट से लाए हुए गर्भपात में इस्तेमाल दवाई की वजह से एक अस्पताल में मृत्यु हुआ था। उसे खून का बहाव ज्यादा होने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। प्रशिक्षण ना होते हुए बी उसका गर्भपात करने की कोशिश की गयी। दुर्भाग्य से उसकी जान बच नहीं पायी। यह केस महिला कल्याण विभाग और पुलिस में दर्ज की गयी। हाल ही में मेडिकल तज्ज्ञों की बैठक में इस बातपर एक प्रतिष्ठित चिकित्सक ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि हररोज एक या दो युवा महिलाओं की ऐसी घटनाएँ सामने आती है जहाँ महिलायें गर्भपात कराने के लिए दवाइयाँ लेती हैं और उसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पडता है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला इन दवाइयों के गंभीर परिणामों के बारे में जानकारी नहीं है। इन में से कई युवतियाँ २०-२२ साल की हैं।

इस हेडलाइन के अनुसार मेडिकल मेथड ऑफ़ एबॉर्शन असुरक्षित होता है। परंतु यह पद्धती प्रभावशाली निश्चित करने हेतु पूरी दुनिया में सबूत मौजूद हैं।

दूसरी तरफ सीएमएचओ ने मेडिकल मेथड ऑफ़ एबॉर्शन (एमएमए) के मुफ्त और बडे पैमाने पर बिक्री को गंभीर समस्या माना है। उन्होंने एक सूचना जारी की है जिसके तहत एमएमए की दवाइयाँ चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बेची नहीं जा सकती। कोई फार्मसिस्ट अगर प्रिस्क्रिप्शन के बिना यह दवाइयाँ बेचते हुए पकडा गया तो उसपर एमटीपी के तहत गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के फार्मसिस्ट्स के खिलाफ प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाइयाँ बेचने की शिकायतें दर्ज हैं। इसलिए सभी ड्रग इन्स्पेक्टर्स को मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल (एमएमए) बेचने में प्रतिबंध लगाया गया है।

इस में जो जानकारी दी गयी है जिसके अनुसार एमएमए दवाइयाँ केवल एक प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध होनी चाहिए वह सही है। लेकिन यह न्यूज जिस नजरिये से दिखाई दी है उससे इन दवाइयों का प्रभावशाली और कानूनी होने के बारे में गलतफहमी पैदा हो सकती है।

एनआरएचएम के अधिकारीने बताया कि राज्य में हुए सभी गर्भपातों मे ६० फीसदी असुरक्षित हैं। भारत में ७ फीसदी मातामृत्यु असुरक्षित गर्भपात की वजह से होते हैं। एक निजी चिकित्सक की रायः चिकित्सक की सलाह के बिना एमएमए दवाइयों का सेवन करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। अतिरिक्त रक्तबहाव की वजह से महिला की मृत्यु हो सकती है। एमएमए दवाइयाँ लेने से पहले संपूर्ण चिकित्सा हेतु सुविधा उपलब्ध हैं। एमएमए दवाइयाँ लेने के बाद महिला को चिकित्सक की देखरेख में रखना जरूरी होता है।

चिकित्सक का मत तकनीकी रूप से सही है लेकिन एक नकारात्मक नजरिये से वह दिया गया है। उसकी वजह से गर्भपात की वैद्यकीय पद्धतियों की कार्यक्षमता और सुरक्षितता इन बारें में सवाल पैदा होते हैं।